08-9-2020 पत्रावली आज दिनांक 08.9.2020 को पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी देवाराम पुत्र श्री भूराराम माली, उम्र 40 वर्ष, जाति–माली, निवासी– इन्द्रापुरी कॉलोनी, रामपुरा रोड, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म हनुमान किराणा स्टोर, इन्द्रा कॉलोनी, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी ने आज एक प्रार्थना पत्र पेश कर अनुरोध किया कि इस प्रकरण मेरी सुनवाई दिनांक 09.9.2020 को होनी है, किन्तु मुझे दिनांक 09.9.2020 को अहमदाबाद जाना पडेगा, इसके कारण में दिनांक 09.9.2020 को उपस्थित नही हो पाउंगा, इसलिये इस प्रकरण में मेरी सुनवाई आज ही करावे। प्रतिवादी देवाराम द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर इस प्रकरण की

.....पेज दो पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:46:50 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.28/2020**
	पत्रावली आज दिनांक 08.9.2020 को सुनवाई हेतु रखी गई। प्रकरण में प्रतिवादी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 13.2.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जिस घी (डोडला) का नमूना जांच के लिये लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है जिसका बिल मिसींग हो गया है। जिसके कारण मैं प्रस्तुत नही कर पाया, मैंनें अब वह घी बेचना बंद कर दिया है। मैं मेरी गलती/जुर्म स्वीकार करता हूँ। मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, मुश्किल से गुजर बसर होती है, इसलिये मुझे इस प्रकरण से मुक्त किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी देवाराम द्वारा उक्तानुसार गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी देवाराम की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ घी (डोडला) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने यह अनुरोध किया कि यह उसकी पहली गलती है, उसने घी (डोडला) को बिल से क्रय कर पैकिंग अवस्था में ही विक्रय किया था, लेकिन बिल गुम हो गया है। मेरा व्यापार छोटा है, भविष्य में ऐसी पुनरावर्ति नही करुंगा। अतः कम जुर्माना करके प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.2.2020 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु प्रतिवादी देवाराम पुत्र श्री भूराराम माली, जाति-- माली, निवासी-- इन्द्रा कॉलोनी, गोयली, तहसील-- सिरोही, जिला-- सिरोही की फर्म हनुमान किराणा स्टोर, इन्द्रा कॉलोनी, गोयली, तहसील-- सिरोही, जिला-- सिरोही पर गये। उक्त फर्म हनुमान किराणा, इन्द्रा कॉलोनी, गोयली, जिला-- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी देवाराम पुत्र श्री भूराराम माली, जाति-- माली, निवासी-- इन्द्रा कॉलोनी, गोयली उपस्थित मिले, जो आम जन को खाद्य पदार्थ घी (डोडला) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त हनुमान किराणा स्टोर के निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ घी (डोडला) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में, बिक्री हेतु मौजूद घी (डोडला) के 11x500 ML पैक्ड टिन कंटेनर में से घी (डोडला) के 4X500 ML पैक्ड टीन कंटेनर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ घी (डोडला) के नमूना संख्या S-1113 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./125/Act/2020/125 दिनांक 25.2.2020 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, ...लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:46:50 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.28/2020**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (डोडला) के लेबल पर निर्माता/पैकर का पूर्ण पता अंकित नही होना पाया गया। प्रतिवादी ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान उक्त खाद्य पदार्थ घी (डोडला) के क्रय का बिल आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत नही किया एवं न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी देवाराम द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ घी (डोडला) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी देवाराम पुत्र श्री भूराराम माली, जाति– माली, निवासी– इन्द्रा कॉलोनी, गोयली, तहसील व जिला–सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म हनुमान किराणा स्टोर, इन्द्रा कॉलोनी, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 6,000/– (अक्षरे रुपये छः हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी देवाराम पुत्र श्री भूराराम माली, जाति– माली, निवासी– इन्द्रा कॉलोनी, गोयली, तहसील व जिला–सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 25.9.2020 को पेश हो। (गितेश श्री मालवीया अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:46:50 IST
Reason: SelfAttested